04.12.24	उपस्थित पक्ष उपरोक्त। वाद वादी निरस्त किया जाता है तथा प्रति.सं. 2 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नियम से दाखिल हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2019/00093

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

दावा सख्या–77/2019 GCMS:- 2019/00093 दायरा दिनांक :–24.06.2019

रामप्रताप (फौत) पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका जरिये वारिस :–

1/1 कृष्णलाल
1/2 अनुसुईया
1/3 प्रार्वती
1/4 राजाराम
} पीसरान रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

1/5 बलबीर (फौत) पुत्र रामप्रताप जरिये वारिस –

1/5/1 सुनीता पत्नी
1/5/2 अनुज पुत्र
1/5/3 सानिया पुत्र
} बलवीर जाति बिश्नोई साकिन चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/6 सुभाष (फौत) पुत्र रामप्रताप जरिये वारिस –

1/6/1 सुमन पत्नी
1/6/2 मोनिका पुत्र
1/6/3 मनीष पुत्र
} सुभाष अकवाम बिश्नोई साकिन चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/7 बिशनदत्त (फौत) पुत्र रामप्रताप जरिये वारिस –

1/7/1 कृष्णादेवी पत्नी
1/7/2 रामनिवास पुत्र
1/7/3 सुभदा पुत्र
} बिशनदत्त अकवाम बिश्नोई निवासीयान चक 78 एन.एल.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र श्री सहीराम पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका (फौत) जरिये वारिस –

1/1 सोहल्यादेवी पुत्री बुधराम पत्नी देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूतरगढ जिला श्रीगगांगनर।

1/2 रिछपाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

1/3 इन्द्रादेवी पुत्री बुधराम पत्नी श्रवण कुमार जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

1/4 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिल श्रीगगांनगर राजस्थान ।

1/5 शारदा पुत्री बुधराम जाति विश्नोई निवासी चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

2. बुधराम पुत्र श्री सहीराम पुत्र शेराराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका (फौत) जरिये वारिस –

2/1 रामस्नेही पत्नी
2/2 राममूर्ति पुत्री गुडडी दोहती
2/3 हेतराम पुत्र
2/4 बुग्गीदेवी पुत्री
2/5 कश्मीरलाल पुत्र
2/6 सरस्वती पुत्री
2/7 शरबती पुत्री
2/8 तारावन्ती पुत्री
2/9 विमला पुत्री
2/10 भगवानाराम पुत्री
2/11 बिरमादेवी पुत्री
2/12 जमना दवी
2/13 राकेश कुमार पुत्र

} बुधराम अकवाम बिश्नोई साकिन चक 78 एल.एन.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
4. उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1 श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता वादी की और से
2 श्री कालुराम बिश्नोई अविवक्ता प्रतिवादीगण की और से

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

–––निर्णय–––

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दिनांक 05.12.2024

वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 के नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 23 एसटीबी पटवारी हल्का घमन्डिया की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता न. 101/106 के पत्थर न 58/304 (57) के किला न. 1 ता 25 में 6.325 हैक. अनकमाण्ड रकबा में 1/3 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, तथा प्रतिवादी न. 2 के नाम से इसी चक इसी सॅवत की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता न. 103/108 के पत्थर न 62/299 (16) के किला न. 1 ता 25 में 6.325 हैक. अनकमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद है । प्रतिवादी न. 1, वादी का सगा भाई है जिसने अपने नाम के चक 23 एसटीबी 6.325 हैक के 1/3 हिस्सा के खातेदारी रकवा का दान अरसादराज से वादी के पक्ष में किया हुआ है व प्रतिवादी न.1 को अपने हिस्सा का दान पत्र पूर्व में दिनाक 07.10.2011 तक रजिस्ट्रर्ड करवाना शेष था उक्त रकबा में वादी एंव प्रतिवादी न. 1 के सगे भाई मनीराम ने अपने नाम के जैर प्रकरण पत्थर न. 58/304 के किला नं. 1 ता 25 के 6.325 हैक. हिस्सा घरू बटवारा में वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के पक्ष 00 बीघा रकबा वादी एंव प्रतिवादी न. 1 को ही आधा है। रकबा में से 1/3 हिस्सा में करके उक्त 25. आधा दिया हुआ व दिनाक 07.10.2011 को प्रतिवादी न. 1 ने अपने रकबा का दान पत्र वादी के पक्ष में करवाने के लिये तहसील में आये व अपने हिस्सा के रकबा का दान पत्र वादी के पक्ष में लिखवाकर तस्दीक करवा दिया परन्तु पत्थर न. 62/299 के स्थान पर इस दान पत्र में 62/229 अकिंत हो गया त्तपश्चात जरिये सशोधन पत्र दिनाक 25.06.2014 को 62/229 के स्थान पर 62/299 अंकित करवाया परन्तु बाद मे पता चला कि प्रतिवादी न 1 ने अपने नाम के रकबा की बजाय प्रतिवादी न 2 के रकबा का दान पत्र मिलते जुलते नाम होने से हो गया । सही बात यह है कि प्रतिवादी न 1 व 2 दोनो का अनकमाण्ड रकबा खातेदारी रकबा चक 23 एसटीबी में स्थित है, व दोनो प्रतिवादीगण के पिता का नाम व जाति समान है व गॉव समान है । इस बात की जानकारी प्रतिवादी न. 1 को दान पत्र के समय कतई नही थी कि इस चक में प्रतिवादी न. 1 के अलावा अन्य भी कोई बुधराम पुत्र सहीराम बिश्नोई का रकबा पड़ता है। यह है कि चक 23 एसटीबी में प्रतिवादी न. 1 व 2 दोनो का खातेदारी रकबा है वादी के पक्ष में प्रतिवादी न. 1 ने दान पत्र लिखवाते समय रकबा प्रतिवादी न. 2 के इसी चक 23 एसटीबी के पत्थर न. 62/299 के किला न. 13/126, 14 ता 25/3.036 हैक. कुल 3.162 हैक. अनकमाण्ड का लिखवा दिया जबकि प्रतिवादी न. 1 का रकबा इसी चक के पत्थर न. 58/304 (57) में 2.1084 हैक. रकबा । प्रतिवादी न. 1 ने दान पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में सहवन से प्रतिवादी न. 2 का रकबा लिखवा दिया व इस दान पत्र का राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल न. 458 दिनाक 21.07.2014 भी वादी के नाम दर्ज हो चुका है जबकि 62/299 का रकबा वादी के भाई का रकबा नही है। वादी के सगे भाई प्रतिवादी न. 1 ने कब्जा काश्त तो अपने खुद के नाम के पत्थर न. 58/304 के रकबा का सौपा था व कब्जा आज भी मौका पर प्रतिवादी न. 1 के नाम के व हिस्सा के रकबा पर ही वादी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी न. 1 के रकबा पर वादी का कतई कब्जा काश्त नही है। इसलिये वादी का नाम प्रतिवादी न. 1 के नाम से कलमजन योग्य है व प्रतिवादी न. 2 के नाम से तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 23 एसटीबी पटवारी हल्का घमन्डिया की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता न. 103/108 के पत्थर न 62/299 (16) के किला न. 1 ता 25 में 6.325 हैक. अनकमाण्ड रकबा में से किला न. 13 ता 25 का 3.162 हैक. रकबा वादी के नाम से कलमजन कर पुनः प्रतिवादी न. 2 के नाम दर्ज किये जाने योग्य है। वादी एव प्रतिवादी न 1 दोनो अनपढ काश्तकार है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाने पर प्रतिवादी न 1 व 2 ने इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किया व प्रतिवादी न 2 ने प्रतिवाद पत्र पेश कर चक 23 एस.टी. जी के पत्थर न 62/299 (16) के किला न. 13 ता 25 का 3.162 हैक. रकबा वादी के नाम से कलमजन कर पूनः वादी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया व निवेदन किया कि पत्थर न. 62/299 के किला न. 1 ता 25 के 6.325 हैक. रकबा पर मेरा ही कब्जा काश्त है इस रकबा का दान पत्र करने का हक प्रतिवादी न. 1 को कतई नही है। यह दान पत्र अनभिज्ञता से वादी के पक्ष में हुआ है व मेरा रकबा मेरे नाम से कलमजन हो गया जो विधी विरूद्ध होने से मेरा सम्पूर्ण रकबा मेरे नाम दर्ज हाने योग्य है। इसलिये वादी के नाम से पत्थर न. 62/299 के किला न. 13 ता 25 का 3.162 हैक. रकबा वादी के नाम से कलमजन कर मुझ प्रतिवादी न. 2 के नाम पुनः खातेदारी दर्ज किया जावे।

दावा व जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात बनाई गयी।

तनकी न . 1 आया प्रतिवादी न. 1 चक 23 एस टी बी के पत्थर न. 58/304 के किला न. 1 ता 25 का 6.325 हेक् में 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व इसी रकबा का ही हस्तान्तरण / दानपत्र करवा सकता था तथा प्रतिवादी न. 2 पत्थर न. 62/299 के 6. 325 हैक रकबा का खातेदार कृषक है। इस रकबा को रहन बैचान का अधिकार प्रतिवादी न. 2 को ही है। प्रतिवादी न. 1 को रकबा को रहन बैचान का हक नहीं है ?

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी

लगातार पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी न 2 आया प्रतिवादी न. 1 व 2 दोनो नाम व वल्दीयत व जाति व गांव तथा रकबा की किस्म भी समान होने से अज्ञानता से दान पत्र दिनांक 25.06.2014 में प्रतिवादी न. 1 के नाम के पत्थर न. 58/304 के 2.108 हैक् रकबा की बजाय प्रतिवादी न. 2 के रकबा का दान पत्र दिनांक 07.10.2011 व–सशोधन दिनांक 25.06.2014 में वर्णन हो गया। जबकि प्रतिवादी न. 1 को इस रकबा का दान पत्र करने का हक नहीं था। प्रतिवादी न. 1 ने चक 23 एस टी बी के पत्थर न. 58/304 के रकबा का ही दान पत्र किया था तथा यही उसका रकबा था ? वादी

तनकी न 3 आया वादी प्रतिवादी न. 1 के नाम के चक 23 एस टी बी के पत्थर न. 58/304 के 2. 308 हैक. अनकमाण्ड रकबा का दान पत्र दिनाक 07.10.2011 व ससोधित दान पत्र दिनाक 25.06.2014 के आधार पर खातेदार काश्तकार है व यह रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम से कलमजन करवाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का हकदार है ? वादी

तनकी न 4 आया प्रतिवादी न. 2 चक 23 एसटीबी के पत्झर न. 62/399 के किला न. 13/0.126, 14 ता 25 में 3.036 हैव. कुल 3.162 हैक रकबा का खातेदार है तथा चादी के दान पत्र में यह रकबा गलती से दर्ज हो गया व प्रतिवादी न. १ को प्रतिवादी न. 2 के रकबा का दान पत्र निष्पादन का हक नहीं है इसलिये इस रकबा का दान पत्र प्रतिवादी न. 2 के हको पर निष्प्रभावी है ? प्रतिवादी न. 2

तनकी न 5. आया प्रतिवादी न. 2 चक 23 एसटीबी के पत्थर न. 62/299 के किला न. 13/0.126.,14 ता 25/3036 हैक कुल 3.162 हैक रकबा वादी के नाम से कलमजन करवाकर प्रतिवादी न. 2 अपने नाम खातदोरी दर्ज करवाने का हकदार है ? प्रतिवादी न 2

तनकी न 6 अन्य अनूतोष

तनकीयात बनाई जाकर वादी पक्ष के साक्ष्य मे पी.डब्ल्यु 1 कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप व 2 राजाराम पुत्र रामप्रताप तथा प्रतिवादी के साक्ष्य मे डी.डब्ल्यु 1 कश्मीरलाल पुत्र बुधराम पुत्र सहीराम पुत्र शेराराम व 2 भगवानाराम पुत्र बुधराम पुत्र सहीराम पुत्र शेराराम पेश हूए।

उभय पक्ष की बहस मे वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादीगण न 1 ने अपनी सहमति से अपने 58/304 का 6.325 हैक रकबा का बेचान कर दिया है इसलिये वादी को अनुतोष की आवश्यकता नही है बल्कि वादी के नाम से पत्थर न 62/299 के किला न 13/1, 14 ता 25 का कुल 3.162 हैक अन रकबा दर्ज हो गया है , यह रकबा पूनः प्रतिवादी न 2 के नाम दर्ज [illegible] वे । उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

यह बात सही है कि जैर प्रकरण रकबा मे वादी ने प्रतिवादी न 1 से मुख्य अनुतोष चाहा है परन्तु इस रकबा का वादी की सहमति से वादी एव प्रतिवादी 1 के वारिसो ने बेचान कर दिया है इसलिये अब कोई अनुतोष वादी नही चाहते है तथा वर वक्त बहस इस रकबा की चालु जमाबन्दी भी पेश की जिसमे पत्थर न 58 / 304 का रकबा किरण पत्नी संतोष के नाम खातेदारी दर्ज हो चुका है व प्रतिवादी न 2 का रकबा राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज है, इस प्रकार तनकी न 1 ता 3 पर निर्णय किया जाने की आवश्यकता नही है, इसलिये वाद वादी विड्रा मानते हूऐ खारीज करना उचित समझते है, तथा तनकी न 4 व 5 पर ही निर्णय किया जाना उचित है।

तनकी न 4 आया प्रतिवादी न. 2 चक 23 एसटीबी के पत्थ र न. 62 / 399 के किला न. 13 / 0.126, 14 ता 25 में 3.036 हैव. कुल 3.162 हैक रकबा का खातेदार है तथा चादी के दान पत्र में यह रकबा गलती से दर्ज हो गया व प्रतिवादी न. १ को प्रतिवादी न. 2 के रकबा का दान पत्र निष्पादन का हक नहीं है इसलिये इस रकबा का दान पत्र प्रतिवादी न. 2 के हको पर निष्प्रभावी है ? प्रतिवादी न. 2

तनकी न 5. आया प्रतिवादी न. 2 चक 23 एसटीबी के पत्थर न. 62 / 299 के किला न. 13 / 0.126.,14 ता 25 / 3036 हैक कुल 3.162 हैक रकबा वादी के नाम से कलमजन करवाकर प्रतिवादी न. 2 अपने नाम खातदोरी दर्ज करवाने का हकदार है ? प्रतिवादी न 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

इन दोनो तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी न 2 पर चुकि प्रकरण मे वादी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसका इस चक के पत्थर न 58 / 304 के 6.325 हैक रकबा मे 1 / 3 हिस्सा बनता है व पत्थर न 62 / 399 का रकबा प्रतिवादी न 2 का रकबा है इस रकबा मे प्रतिवादी न 1 व वादी का कोई हक नही बनता है प्रतिवादी न 1 व 2 का नाम व पिता का नाम व जाति व गॉव समान होने से दान पत्र बुधराम बहक रामप्रताप मे प्रतिवादी न 2 का चक 23 एसटीबी के पत्थ र न. 62 / 399 के किला न. 13 / 0.126, 14 ता 25 में 3.036 हैव. कुल 3.162 हैक रकबा अंकित हो गया, प्रतिवादी न 2 के रकबा का प्रतिवादी न 1 को दान पत्र करवाने का कोई हक नही है प्रतिवादी न 1 व 2 का नाम व पिता का नाम व जाति गॉव व रकबा की किस्म समान होने प्रतिवादी न 1 ने वादी के पक्ष मे यह दान [illegible] करवा दिया यह दान पत्र शुरू से शुन्य की श्रेणी का है [illegible] दान पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बुधराम बहक रामप्रताप दिनांक 07.10.2011 व संशोधित दान पत्र दिनांक 25.06.2014 प्रदर्श न 3 व 4 प्रतिवादी न 2 के हितो पर बेअसर है, इस दान पत्र से प्रतिवादी न 2 का चक 23 एसटीबी के पत्थ र न. 62/399 के किला न. 13/0.126, 14 ता 25 में 3.036 हैव. कुल 3.162 हैक खातेदारी रकबा जो वादी के नाम दर्ज हुआ है वो कानुन के प्रावधानो के विपरीत शुरू से शुन्य दान पत्र से दर्ज हूआ है,इसलिये यह रकबा वादी के नाम से कलमजन कर पूनः प्रतिवादी न 2 के नाम खातेदारी दर्ज होने योग्य है । यह सारी बाते प्रतिवादी एव वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य से साबित हो रही है इसलिये इन दोनो तनकीयात का निर्णय बहक प्रतिवादी न 2 किया जाता है।

तनकी न 6 अन्य अनुतोषः– इस तनकी मे हम खर्चा दोनो पक्षो को अपना अपना वहन करना उचित समझते है।

अतः वाद वादी निरस्त कर, प्रतिवादी न 2 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर चक 23 एस.टी.बी. के पत्थर न. 62/399 के किला न. 13/2 का 0.126, 14 ता 25 का 3.036 हैव. कुल 3.162 हैक अ.क.रकबा का प्रतिवादी न 2 को खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है व यह रकबा वादी रामप्रताप पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई के नाम से कलमजन कर, प्रतिवादी न 2 बुधराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका के नाम खातेदारी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशानुसार रिकार्ड में अमलदरामद का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

(ओ0 21 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

1रामप्रताप (फौत) पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका जरिये वारिस :–

1/1 कृष्णलाल
1/2 अनुसुईया
1/3 प्रार्वती
1/4 राजाराम
} पीसरान रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

1/5 बलबीर (फौत) पुत्र रामप्रताप जरिये वारिस –

1/5/1 सुनीता पत्नी
1/5/2 अनुज पुत्र
1/5/3 सानिया पुत्र
} बलवीर जाति बिश्नोई साकिन चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/6 सुभाष (फौत) पुत्र रामप्रताप जरिये वारिस –

1/6/1 सुमन पत्नी
1/6/2 मोनिका पुत्र
1/6/3 मनीष पुत्र
} सुभाष अकवाम बिश्नोई साकिन चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/7 बिशनदत्त (फौत) पुत्र रामप्रताप जरिये वारिस –

1/7/1 कृष्णादेवी पत्नी
1/7/2 रामनिवास पुत्र
1/7/3 सुभदा पुत्र
} बिशनदत्त अकवाम बिश्नोई निवासीयान चक 78 एन.एल.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। ––वादी

बनाम

1 बुधराम पुत्र श्री सहीराम पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका (फौत) जरिये वारिस –

1/1 सोहल्यादेवी पुत्री बुधराम पत्नी देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूतरगढ जिला श्रीगगांगनर।

1/2 रिछपाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

1/3 इन्द्रादेवी पुत्री बुधराम पत्नी श्रवण कुमार जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

1/4 सुरेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिल श्रीगगांनगर राजस्थान ।

1/5 शारदा पुत्री बुधराम जाति विश्नोई निवासी चक 78 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

2 बुधराम पुत्र श्री सहीराम पुत्र शेराराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका (फौत) जरिये वारिस –

2/1 रामस्नेही पत्नी
2/2 राममूर्ति पुत्री गुडडी दोहती
2/3 हेतराम पुत्र
2/4 बुग्गीदेवी पुत्री
2/5 कश्मीरलाल पुत्र
2/6 सरस्वती पुत्री
2/7 शरबती पुत्री
2/8 तारावन्ती पुत्री
2/9 विमला पुत्री
2/10 भगवानाराम पुत्री
2/11 बिरमादेवी पुत्री
2/12 जमना दवी
2/13 राकेश कुमार पुत्र

} बुधराम अकवाम बिश्नोई साकिन चक 78 एल.एन.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
4 उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 88–188–53–209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 240 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी की और से कालुराम व पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादी निरस्त कर, प्रतिवादी न 2 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर चक 23 एस.टी.बी. के पत्थर न. 62/399 के किला न. 13/2 का 0.126, 14 ता 25 का 3.036 हैव. कुल 3.162 हैक अ.क.रकबा का प्रतिवादी न 2 को खातेदार काश्तकार घोषीत किया जाता है व यह रकबा वादी रामप्रताप पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई के नाम से कलमजन कर, प्रतिवादी न 2 बुधराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा बीका के नाम खातेदारी दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाता है।

नोज ....X........... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह .... X .... फस्दों की पालना .... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बदस्तखत हमारे व मोहर अदालत के आज दिनांक .. 05.12.24 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ